तमिलनाडु राज्य और अन्य

बनाम

ए. गुरुसामी

17 फरवरी, 1997

[के. रामास्वामी और जी. टी. नानावती, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 341 (1), 342 (1), 366 (24) और 366 (25)-अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति अधिसूचना-अनुसूची जनजाति की स्थिति की घोषणा के लिए दीवानी मुकदमा-इसका लाभ उठाने वाले उत्तरदाता की रखरखाव क्षमता अनुसूचित जाति खुद को 'थोट्टी' समुदाय का सदस्य होने का दावा करती है-में 1971 में उन्होंने खुद को "कट्टुनैकन" होने का दावा करते हुए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया-बाद में उन्होंने एक स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, जो था मना कर दिया और पहले का प्रमाणपत्र रद्द कर दिया उन्होंने अनुसूचित जनजाति का दर्जा की घोषणा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया मुकदमा घोषित और अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी अदालत ने डिक्री की पुष्टि की-होल्ड, प्राधिकरण ने प्रतिवादी को अपनी स्थिति स्थापित करने का अवसर दिया था और पाया कि प्रमाण पत्र पहले प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र गलत और अवैध था, और इसलिए, 1971 में दिया गया प्रमाण पत्र सही ढंग से रद्द कर दिया गया 341 और 342 अनुच्छेदों के तहत भारत के राष्ट्रपति की घोषणा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संबंध में 342 किसी राज्य के संबंध में कि किसी विशेष जाति या जनजाति को क्रमशः अनुच्छेद 366 (24) या अनुच्छेद 366 (25) में परिभाषित किया गया है, वह अनुच्छेद 341 (2) या 342 (2) के तहत संसद द्वारा किए

गए संशोधन के अधीन निर्णायक है। आवश्यक निहितार्थ से, सिविल न्यायालय की अधिकारिता का संज्ञान लेना और एक घोषणा देना निषिद्ध है- नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा जारी की गई घोषणा असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र के बिना मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 9-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्थिति की घोषणा के लिए वाद स्थिति-आवश्यक निहितार्थ से, सिविल न्यायालय की अधिकारिता इसका संज्ञान लें और एक घोषणा दें जो निषिद्ध है।

एस्टोपेल-उत्तरदाता ने 1971 में, अनुसूचित की स्थिति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जब उन्होंने स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, तो यह आया संबंधित प्राधिकारी की सूचना में आया कि प्रमाणपत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था और पहले का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था-निबंधन की याचिका उठाई गई-एक व्यक्ति जो धोखाधड़ी करता है और गलत प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। विबंधन की गुहार नहीं लगा सकते।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 1565/1997

मद्रास उच्च न्यायालय के 23.2.96 दिनांकित निर्णय और आदेश से 1996 के एस. ए. सं. 228 में न्यायालय।

अपीलार्थी के लिए एम. ए. कृष्णमूर्ति, जे. बी. रवि और वी. कृष्णमूर्ति

उत्तरदाता की ओर से के. वी. मोहन।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अनुमति दे दी गई। हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 23.02.1996 को दिये फैसले से उत्पन्न होती है एस.ए. सं.- 228/96 इस आधार पर खारिज करते हुए कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दी गई घोषणा तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष था। मान लीजिए, जब प्रतिवादी स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसे 'थोट्टी' समुदाय के सदस्य के रूप में वर्णित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 341 (1) के तहत जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 366 (24) के साथ पढ़ने पर 'थोट्टी' को राष्ट्रपति की अधिसूचना की मद संख्या 67 के रूप में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है। क्रमशः, 1970 में, प्रत्यर्थी ने राजस्व मंडल अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसमें उसे संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के साथ पठित अनुच्छेद 342 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची की वस्तु संख्या 9 के रूप में 'कट्टुनैकन' होने का संकेत दिया गया था। इसके बाद उन्होंने स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। उस आधार पर, एक जांच की गई और यह पाया गया कि प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति नहीं था, बल्कि एक अनुसूचित जाति है। तदनुसार, प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। उक्त निरस्तीकरण पर आक्षेप करते हुए, प्रत्यर्थी ने यह घोषणा करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया कि वह 'कट्टुनैकन', एक अनुसूचित जनजाति है। यह घोषणा ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई थी और इसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई थी। उच्च न्यायालय ने दूसरी याचिका खारिज कर दी। इस प्रकार, विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

केवल एक ही सवाल हैः क्या सूट रखरखाव योग्य है? संचालन द्वारा सी. पी. सी. की धारा 9 का एक मुकदमा, जिसका नागरिक प्रकृति का संज्ञान स्पष्ट रूप से है या निहितार्थ को छोड़कर, किसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। संविधान

के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति का घोषणा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संबंध में व्यवस्था किसी राज्य के संबंध में, जिसमें किसी विशेष जाति या जनजाति को अनुच्छेद 366(24) और (25) में क्रमशः एक संशोधन के अधीन निर्णायक है। संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) के तहत संसद द्वारा संशोधन के अधीन निर्णायक है। आवश्यक निहितार्थ, सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लेने के लिए घोषणा करना और देना निषिद्ध है। सवाल यह है कि : क्या प्रत्यर्थी को अपनी स्थिति स्थापित करने का अवसर दिया गया है अधिकारियों द्वारा प्राप्त उनके सामुदायिक प्रमाण पत्र को रद्द करने से पहले जिला कलेक्टर के दिनांकित 2.12.1991 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रतिवादी को एक अवसर दिया गया था और वह स्वयं उसकी जाँच की। जिला कलेक्टर इसे सूट की तरह तय नहीं करते हैं। क्या? वह तर्कसंगत न्याय के सिद्धांतों का पालन करने वाली एक जांच है। वह उनके रुख को, अर्थात्, 1962 के बिक्री विलेखों में से एक माना जाता है जिसमें उनके स्थिति को कट्टुनैकन के रूप में घोषित किया गया था लेकिन उसी पर रद्द करने से पहले जिला कलेक्टर द्वारा विश्वास नहीं किया गया था यह स्व-सेवारत दस्तावेज़ है। अतः प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी को स्थापित करने का एक अवसर दिया था कि उसकी स्थिति की जाँच करें और पाया कि पहले प्राप्त प्रमाण पत्र गलत और अवैध था। तदनुसार वे 23 जनवरी, 1971 को प्रत्यर्थी को दिये प्रमाण पत्र को रद्द किया। इसके बाद विद्वान वकील द्वारा प्रत्यर्थी के लिए तर्क दिया जाता है कि कलेक्टर द्वारा दिशा-निर्देश दिए गए थे जिस तरीके से जांच की जानी है और समानार्थी शब्दों को लिया जाना है और उसके अनुसरण में राजस्व प्रभाग अधिकारी ने उन्हे प्रमाण पत्र दिये। हमने पाया कि जो रुख अपनाया गया वह सही नही है। दिशा-निर्देश केवल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए हैं न कि घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना की विशेष प्रविष्टि के तहत कौन सा समुदाय आता है। तब यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी 1971 से स्थिति का आनंद लेने का अधिकार दिया गया है और इसलिए, एस्टोपेल उस पर लागू

होता है। हम पाते हैं कि इसका कोई बल नहीं है। यह एक संविधान पर खेला गया धोखाधड़ी है। एक व्यक्ति जो धोखाधड़ी करता है और गलत प्रमाण पत्र प्राप्त करता है विबंधन का बहिष्कार का अनुरोध नहीं कर सकता है। विबंधन का सिद्धांत केवल तभी उत्पन्न होता है जब वैध वादा किया गया और उसके नुकसान के लिए कार्रवाई की गईः पार्टी प्रतिज्ञा करना वाली प्रतिज्ञा से पीछे हटने के लिए रोक दिया जाता है। इस मामले में, रोक का सिद्धांत लागू नहीं होता है क्योंकि राज्य द्वारा कोई वादा नहीं किया जाता है राज्य कि राज्य धोखाधड़ी के अपराध की रक्षा संवैधानिक उद्देश्यों को पराजित कर करेगा। कोई वादा नहीं किया गया था कि उनका झूठा प्रमाण पत्र राज्य द्वारा सम्मान एवं स्वीकार किया जाएगा। दूसरी ओर, वह अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। अदालतें संविधान के साथ धोखाधड़ी करने में सहायता नही देगी और उसे अधिकारियों से प्राप्त धोखाधड़ी प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नही दी जा सकती है। निचली अदालती द्वारा घोषणा जारी की गई। असंवैधानिक और अधिकार क्षेत्र के बिना है।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। मुकदमा खारिज किया जाता है। कोई लागत नही।

आर.पी अपील की अनुमति।

राकेश सिन्हा